

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-07/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 14/10/2024

प्रति,

✓ वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय, अरण्य भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

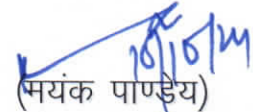
विषय:- Diversion of 2.58 ha. (For approach road area 0.95 Ha and power line area 1.62 Ha) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh- reg.

- संदर्भ:-1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-8/15/2024-IRO-Raipur/67, दिनांक 20.06.2024।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-254/2295, दिनांक 18.09.2024।

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/- उक्त वांछित जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (05 पृष्ठीय)।


(भयंक पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक /10/2024

पृष्ठांक क्रमांक एफ 5-07/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 4. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



175

/201/10-2/वन

दिनांक... 23-09-2024

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/2295

रायपुर, दिनांक 18/09/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:-

Diversion of 2.58 ha (For approach road area 0.95 Ha and power line area 1.62 Ha) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East-Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/15/ 2024-IRO-Raipur/ 67 दिनांक 20.06.2024
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-07/ 2020/ 10-2 दिनांक 25.07.2024
3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ त.अ./ न. क्र. 78/ 2024 / 2724 दिनांक 11.09.2024

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

उक्त पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र -03 (छायाप्रति संलग्न) से बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा इस कार्यालय को अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
i	The proposed road is already in usage by the UA to approach mining site. hence, it is not clear whether the said road is under usage with the approval of the competent authority under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 or otherwise. The same may need to be clarified by the State Government.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में माईनिंग क्षेत्र में पहुंच मार्ग हेतु 1.50 हे. वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 876 एवं आर. एफ. 642 में व्यपवर्तन हुआ था किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 वृक्ष होने के कारण उस मार्ग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्व से निर्मित कूप निकासी मार्ग कक्ष क्रमांक आर.एफ. 642 का उपयोग कर लौह अयस्क परिवहन हेतु उपयोग किया जा रहा है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग हेतु नियमानुसार वन मार्ग शुल्क जमा किया जा रहा है।

1617
अ.मु.स. / वन एवं ज.प.वि.
दिनांक 19-SEP-2024/2024

19 SEP 2024
20 SEP 2024

क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
	The proposed activities are ancillary activities of the mining proposal, hence reason for not including these components while submitting mining proposal needs to be clarified by the State Government and justification for submission of the instant proposal needs to be provided.	प्रस्तावित खनन क्षेत्र रकबा 75.00 हे. एवं पहुंच मार्ग 1.50 हे. कुल रकबा 76.50 हे. क्षेत्र को व्यपवर्तन प्रस्ताव में शामिल किया गया है, जिसकी स्वीकृति सक्षक अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था, किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 वृक्ष होने के कारण इस मार्ग का उपयोग नहीं किया गया है।
iii	The State Government may submit a detailed report along with the condition's wise compliance report for the approval granted for mining project and detailed report on violation of Adhiniyam, if any.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जा रहा है।

अतः संदर्भ पत्र-1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर से प्राप्त 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/ 2296

रायपुर, दिनांक 18/09/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर, वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़
3. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर, छ.ग.।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkankeer3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2024/2724
प्रति,

कांकेर, दिनांक/11/9/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:-

Diversion of 2.58 ha. (For approach Road area 0.95 ha. and the Power lines Covers an area of 1.62 ha.) Forest land for non-forest Purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 Proposed for the Approach Road from Mines to Public Road and laying Power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg. Online Registration No. FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/खनिज/331-254/1550 दिनांक 27.6.2024
2. वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/6658 दिनांक 11.9.2024



विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक File No.FC-8/15/2024-IRO-RAIPUR/67 दिनांक 20.6.2024 द्वारा 03 बिन्दुओं पर चाही गई अतिरिक्त जानकारी वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

अतः वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक/11/9/2024

पृ.क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2024/2725

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-बोरझारा, उरला-गुमा रोड, रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

E-mail - dfocast_bpur@rediffmail.com, Fax No. - 07850-252223

क्रमांक/मा.चि./2024/ 6658

भानुप्रतापपुर/दिनांक 11/9/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :-

Diversion of 2.58 ha. (For approach road area 0.95 ha. And power line area 1.62 ha.) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favor of M/s Shri, Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjabara,, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East-Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh - reg.

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग.रायपुर का पत्र क./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/1550 रायपुर दिनांक 27.06.2024 ।

—00—

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि मे.बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा आवेदित रकबा 76.50 हे. क्षेत्र वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में पहुंचमार्ग हेतु 2.58 हे. वन भूमि का (वन संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के आधा 2 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच के संबंध में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

S.No. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर 11/9/2024	i. The proposed road is already in usage by the U/A to approach mining site. Hence, it is not clear whether the said road is under usage with the approval of the competent authority under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 or otherwise. The same may needs to be clarified by the State Government.	मे.श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में माईनिंग क्षेत्र में पहुंच मार्ग हेतु 1.50 हे. वन कक्ष क. पी.एफ. 876 एवं आर.एफ. 642 में व्यपवर्तन हुआ था किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 वृक्ष होने के कारण उस मार्ग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्व से निर्मित कूप निकासी मार्ग कक्ष कमांक आर.एफ. 642 का उपयोग कर लौह अयस्क परिवहन हेतु उपयोग किया जा रहा है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग हेतु नियमानुसार वनमार्ग शुल्क जमा किया जा रहा है।
ii.	The proposed activities are ancillary activities of the mining proposal, hence reason for not including these components while submitting mining proposal needs to be clarified by the State Government and justification for submission of the instant proposal needs to be provided;	प्रस्तावित माईनिंग क्षेत्र रकबा 75.00 हे. एवं पहुंचमार्ग 1.50 हे. कुल रकबा 76.50 हे. क्षेत्र को व्यपवर्तन प्रस्ताव में शामिल किया गया है। जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था, किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 वृक्ष होने के कारण इस मार्ग का उपयोग नहीं किया गया है।
iii.	The State Government may submit a detailed report along with the condition's wise compliance report for the approval granted for mining project and detailed report on violation of Adhiniyam, if any.	मे.बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि.रायपुर द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया जा रहा है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

Dalvi
वनमंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

पृ.क./मा.चि./2024/ 6659

भा.पुर/दिनांक 11/9/24

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग.नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मै.श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि., ग्राम-बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर छ.ग की ओर सूचनार्थ ।

Dalm
वन मंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर